रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 177] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 29, 2017/वैशाख 9, 1939
No. 177] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 29, 2017/VAISAKHA 9, 1939

indiacode

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2017

फा. सं. 51–1/2015/राअशिप(एनएंडएस).—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1973 (1993 का 73वां) के खण्ड 32 के उपखण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (विनियम मानदंड तथा क्रियाविधि) विनियम, 2014 को संशोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद निम्न विनियम अधिसूचित करती है:—

1. **लघु शीर्ष और प्रवर्तन:**

(i) ये विनियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियम, 2017 कहलाएंगे।

(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानक तथा प्रक्रिया) विनियम, 2014 में (इसके बाद संदर्भित उक्त विनियम):—

(क) खण्ड 8(ए) के उपखण्ड (3) में मौजूदा प्रावधान के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित होगा:

"3 (i) परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त किसी शिक्षण संस्था को मान्यता वाली तिथि से 5 वर्षों के भीतर परिषद द्वारा निर्धारित किसी प्रत्यायन एजेंसी से प्रत्यायन प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

3 (ii) मौजूदा अध्यापक शिक्षा संस्थाएं, जिनका अभी तक प्रत्यायन नहीं हुआ है अथवा 5 वर्ष या अधिक अवधि के लिए जिनका प्रत्यायन नहीं हुआ है, उन्हें इस विनियम की अधिसूचना निकलने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर प्रत्यायन करने वाली निर्धारित एजेंसी से स्वयं को प्रत्यायित करना अपेक्षित होगा।

3 (iii) एक बार प्राप्त प्रत्यायन 5 वर्ष की अवधि के लिए ही होगा। सभी मान्यताप्राप्त और पहले ही प्रत्यायित अध्यापक शिक्षा संस्थानों को चाहिए कि वे पहले वाले प्रत्यायन की अवधि समाप्त होने से पहले परिषद द्वारा इस प्रयोजन से निर्धारित संस्था द्वारा पुनः प्रत्यायित करने का कष्ट करें।"

(ख) खण्ड 8(ए) के उपखंड (4) में मौजूदा प्रावधानों के स्थान पर निम्नलिखित प्रावधान प्रतिस्थापित होंगे:

"**(4)** इन विनियमों के तहत किसी भी संस्थान को तब तक मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि उस संस्थान अथवा संस्थान को प्रायोजित करने वाली सोसायटी के पास आवेदन की तारीख को अपेक्षित भूमि उपलब्ध न हो। सभी अवरोधों से मुक्त भूमि मालिकाना आधार पर अथवा सरकार या सरकारी संस्थानों से कम से कम तीस वर्षों के पट्टे(लीज) पर होनी चाहिए। ऐसे मामलों में जिनमें संबंधित राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र नियमों के अधीन पट्टे की अधिकतम अनुमत्य अवधि तीस वर्ष से कम है, राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र का नियम लागू होगा।

बशर्ते कि केन्द्रीय/राज्य सरकार की शिक्षण संस्थाओं अथवा विश्वविद्यालयों के मामले में भूमि/परिसरों से संबंधित जो लीज पर उन्हें दी गयी हैं, 5 वर्षों की अवधि तक मान्यता प्रदान की जा सकती है। तथापि, ऐसी संस्थाओं को अपनी भूमि और उस पर बने भवन के परिसर में मान्यता स्वीकृति की तिथि से पांच वर्ष के भीतर इन विनियमों में दी गई विशेषताओं के अनुरूप स्थानांतरित होना होगा।

पुनः शर्त यह है कि केन्द्रीय/राज्य सरकार की संस्थाओं अथवा विश्वविद्यालयों के मामले में उन्हें 30 वर्षों से अधिक अवधि के लिए जो भूमि/परिसर उन्हें लीज पर दिए गए हैं, इसके आधार पर उन्हें मान्यता दी जा सकती है।

पुनः शर्त यह है कि भारत सरकार द्वारा जिन शहरों को वर्ग X और Y के रूप में गृह कर भत्ते के प्रयोजन से अधिसूचित किया गया है, कोई विश्वविद्यालय/महाविद्यालय आवेदन वाली तिथि को विगत 10 शैक्षणिक वर्षों से अस्तित्व में हैं और राअशिप के मापदंडों के अनुसार उनके पास भूमि उपलब्ध नहीं है तो उन्हें राअशिप के मापदंडों के अनुसार निर्मित क्षेत्र की उपलब्धता के आधार पर नए अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों अथवा अतिरिक्त छात्र प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है, यदि उस संस्था के पास कम से कम एक हजार वर्गमीटर भूमि क्षेत्र उपलब्ध है जिस पर अपेक्षित बुनियादी ढांचा निर्मित किया जाना है।

इसके अलावा यह भीतर शर्त है कि भूमि क्षेत्र में छूट देने का नियम किसी शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में लागू नहीं होगा।"

(ग) खंड 8 के उपखंड 14 में मौजूदा प्रावधानों के स्थान पर निम्नलिखित प्रावधान प्रतिस्थापित होंगे:

"(14) संस्था निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्य प्रकटन का पालन करेगी तथा अपनी अधिकारिक वेबसाइट में अद्यतन जानकारी प्रदर्शित करेगी। राअशिप अथवा इसके द्वारा प्राधिकृत एजेंसी द्वारा ऐसी संस्था की निगरानी वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा की जाएगी। इस कार्य के लिए समय–समय पर राअशिप धनराशि निर्धारित करेगी, जिसका भुगतान संस्थान को करना पड़ेगा।"

3. खंड 10 के उपखंड 1 में मौजूदा प्रावधानों के स्थान पर निम्नलिखित प्रावधान प्रतिस्थापित होंगे:

"(i) स्ववित्तपोषी आधार पर चलने वाली सरकारी और सरकारी सहायताप्राप्त संस्थाओं सहित स्ववित्तपोषी संस्थाओं के मामले में जहां विनियम 7 के उपविनियम 13 के अधीन आशय पत्र(एलओआई) जारी किया गया है, किसी अनुसूचित बैंक में सावधि जमा के रूप में प्रति कार्यक्रम के लिए पांच लाख रुपये की स्थायी निधि तथा प्रति कार्यक्रम अनुमोदित दाखिले के लिए सात लाख रुपये की आरक्षित निधि होगी जिसे प्रबंधन एवं राअशिप के अधिकृत प्रतिनिधि के संयुक्त नाम से एक सावधि जमा के रूप में किसी निर्धारित एवं राअशिप द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा केन्द्रीय रूप से सुरक्षित रखा जाएगा।

(ii) मौजूदा शिक्षण संस्थाओं को अपने मौजूदा एफडीआर को भुनाने की अनुमति होगी तथा परिषद द्वारा निर्धारित बैंक (बैंकों) में उपरोक्त बतायी गयी विधि से नकद धन प्राप्ति के सात कार्यदिवसों के भीतर यह सुनिश्चित करना होगा कि निधियां जमा कर दी गयी हैं। तथापि, यह कार्य इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीन महीने की अवधि के भीतर पूरा हो जाना चाहिए।

(iii) स्थायी एवं सुरक्षित निधि के मामले में संयुक्त एफडीआर पर 50 प्रतिशत ब्याज का उपयोग राअशिप द्वारा अध्यापक शिक्षा संस्थाओं और राअशिप कर्मचारियों के क्षमता विकास के प्रयोजन से किया जाएगा तथा परिष्कृत राष्ट्रीय अध्यापक पोर्टल के विकास और रखरखाव के प्रयोजन से भी उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार से प्राप्त धनराशि को राअशिप द्वारा अलग कोष निधि के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। शेष 50 प्रतिशत ब्याज की धनराशि का उपयोग संबंधित अध्यापक शिक्षा संस्था द्वारा किया जाएगा।"

4. उक्त विनियमों के परिशिष्ट 5 में, उपखण्ड 2(i) में मौजूदा प्रावधान के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित होगा:

"(i) ऐसी संस्थाएं जो अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को कम–से–कम 5 शैक्षणिक वर्षों से संचालित कर रही हैं तथा वे किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं एवं परिषद द्वारा अनुमोदित किसी प्रत्यायनकारी एजेंसी के पास प्रत्यायन हेतु उन्होंने आवेदन किया हुआ है।"

5. उक्त विनियमों के परिशिष्ट 14 में, उपखण्ड 2(i) में मौजूदा प्रावधान के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित होगा:

"(i) बी.एड. तथा एम.एड. कार्यक्रमों को संचालित करने वाली राअशिप द्वारा मान्यताप्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थाएं जिनका अस्तित्व कम से कम 5 वर्षों से अनवरत रूप से बना हुआ है तथा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी प्रत्यायनकारी एजेंसी से प्रत्यायन प्राप्त कर चुकी हैं।"

6. उक्त विनियमों के परिशिष्ट 15 में, उपखण्ड 2(i) में मौजूदा प्रावधान के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित होगा:

"(i) बी.एड. तथा एम.एड. कार्यक्रमों को संचालित करने वाली राअशिप द्वारा मान्यताप्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थाएं जिनका अस्तित्व कम से कम 5 वर्षों से अनवरत रूप से बना हुआ है तथा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी प्रत्यायनकारी एजेंसी से प्रत्यायन प्राप्त कर चुकी हैं।"

संजय अवस्थी, सदस्य सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./41/2017]

टिप्पणी : प्रमुख विनियम दिनांक 01 दिसम्बर, 2014 की अधिसूचना सं. फा. 51–1/2014/राअशिप(एन एंड एस) द्वारा भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग–III, अनुच्छेद 4 में प्रकाशित हुए थे।

IndiaCode

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2017

F. No. 51-1/2015/NCTE (N&S).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 32 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993), the National Council for Teacher Education hereby makes the following regulations further to amend the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2014, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Amendment Regulations, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2014 (hereafter referred to as the said regulation),

(a) In regulation 8(a), for sub-regulation (3), the following shall be substituted namely:—

"3 (i) An institution, which has been recognised by the Council shall obtain accreditation from an accrediting agency identified by the Council within five years of the date of recognition.

3 (ii) All existing Teacher Education Institutions which have not been accredited so far or have not been accredited within five years from the date of its recognition shall be required to get themselves accredited by the aforesaid accrediting agency within a period of one year from the date of notification of these Regulations.

3 (iii) The accreditation once obtained shall be valid for a period of five years and the recognised and already accredited Teacher Education Institutions shall be required to get accreditation renewed by the agency identified for the purpose by the Council before the lapse of the earlier accreditation".

(b) for sub-regulation (4), the following shall be substituted, namely :—

"(4) No institution shall be granted recognition under these regulations unless the institution or society sponsoring the institution is in possession of required land free from all encumbrances on the date of application and the said land shall be either on ownership basis or on lease from the Government or Government institutions for a period of not less than thirty years subject to the relevant laws of the concerned State or Union Territory.

Provided that in cases of Central or State Government Institutions or Universities, recognition may be accorded for a period of five years, on land or premises, which is leased to them.

Provided further that such institutions shall be required to shift to premises with own land and building thereon, in conformity with the specification in these regulations within a period of five years from the date of recognition.

Provided also that in case of Central or State Government Institutions or Universities, recognition may be accorded on land or premises, which is leased to them for a period of thirty years or more.

Provided also that in cases of Cities notified as Category X and Y by the Government of India for the purposes of house rent allowance, any University or College which has been in existence for the last ten academic years on the date of application and not in possession of land as per National Council for Teacher Education norms, be allowed to apply for new Teacher Education Programmes or additional Intake exclusively on the basis of the availability of built up area as per National Council for Teacher Education Norms, if the institution has at least one thousand sq. meter of land area on which the required infrastructure is built up.

Provided also that the relaxation in land area shall not apply to any Physical Education programme".

(c) For sub-regulation (14), the following shall be substituted, namely :—

"(14) The institution shall adhere to the mandatory disclosures in the prescribed format and display up-to-date information on its official website and on-line monitoring of the institution shall be done through the website of such Institution by National Council for Teacher Education or an agency authorised by it and the amount payable for this purpose shall be determined by the National Council for Teacher Education from time to time."

3. In the said regulations, in regulation 10, for sub-regulation (1), the following shall be substituted, namely :—

"(i) In the case of self-financed institutions including Government or Government aided institutions or universities running a programme on self-financing basis, where the Letter of Intent (LOI) is issued under sub-regulation (13) of regulation 7, there shall be an endowment fund of five lakh rupees per programme and a reserve fund of seven lakh rupees per programme, in the form of a fixed deposit in the joint name of an authorised representative of the management and the National Council for Teacher Education, which shall be maintained centrally by a Nationalised Bank(s) identified and notified for the purpose by the National Council for Teacher Education.

(ii) The existing institutions shall be allowed to encash their existing Fixed Deposit Receipts and ensure deposit of funds, within seven working days of encashment in the manner specified above in the Bank identified by the Council, provided it shall be completed within a period of three months of publication of this notification.

(iii) Fifty per cent of interest accrued on the joint Fixed Deposit Receipts towards the Endowment Fund and Reserve Fund shall be used by National Council for Teacher Education for the purpose of capacity building of the Teacher Education Institutions and also National Council for Teacher Education Staff so also development and maintenance of a sophisticated National Teacher Portal and the amount so accrued shall be maintained as a distinct corpus fund by National Council for Teacher Education and the remaining fifty per cent of interest shall accrue to the concerned teacher education institution".

4. In the said regulations in Appendix 5, in paragraph 2, for sub-paragraph (i), the following shall be substituted, namely:—

"(i) Institutions offering teacher education programmes for a minimum period of five academic years, being affiliated to a University, and having applied for accreditation to an accrediting agency approved by the Council".

5. In the said regulations, in Appendix 14, in paragraph 2, for sub-paragraph (i), the following shall be substituted, namely:—

"(i) National Council for Teacher Education recognised Teacher Education Institutions offering B.Ed and M.Ed programmes which have been in existence for at least five years and having Accreditation from an Accrediting Agency approved by the Council".

6. In the said regulations, in Appendix 15, in paragraph 2, for sub-paragraph (i), the following shall be substituted, namely:—

"(i) National Council for Teacher Education recognised Teacher Education Institutions offering B.Ed and M.Ed programmes which have been in existence for at least five years and having Accreditation from an Accrediting Agency approved by the Council".

SANJAY AWASTHI, Member-Secy.

[ADVT. III/4/Exty./41/2017]

Note : The Principal regulation were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide notification number F.51-1/2014/NCTE (N&S), dated the 1st December, 2014.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.04.29 18:26:58 +05'30'